pressed by the Congress Members standing up.

श्री मधु लिमये : सदन की खुशी का सवाल ही नहीं है। यह नियम के विपरीत है। वह पेश ही नहीं हुआ है।

MR. SPEAKER: He had moved it.

So, it is withdrawn by leave of the House.

The motion was, by leave, withdrawn

11.43 hrs.

DIRECT TAXES (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN): I beg to move for leave to intrduce a Bill further to amend the Income-tax Act, 1961, the Wealth-tax Act, 1957, the Gift-tax Act, 1958 and the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 and to provide for certain related matters.

MR. SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Income-tax Act, 1961, the Wealth-tax Act, 1957, the Gift-tax, 1958 and the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 and to provide for certain related matters".

The motion was adopted

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: I introduce† the Bill.

11.44 hrs.

Re. FLOODS IN SOME STATES

अध्यक्ष महोदय : कुछ मैम्बर्ज गुजरात के फ्लड्ज के बारे में कल-परसों मेरे पास कुछ मोशन्ज ले कर आये थे। मैंने उन को एडमिट नहीं किया। लेकिन मैं आप लोगों की इजाजत से गुजरात के तीन चार मेम्बरों को दो दो, तीन तीन मिनट इस बारे में कहने के लिए देना चाहता हूं। मैं राजस्थान के मेम्बरों को भी मौका दे दूंगा। जो मेम्बर मेरे पास आये थे, मैंने उन को इजाजत दी है। लेकिन डिसकशन के लिए टाइम नहीं है।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैंने भी रूल 377 के मातहत नोटिस दिया है कि एल०आई०सी० ने कई हजार स्क्वेयर फीट जमीन ट्रेडर्ज को प्रैक्टिकली फ्री दे दी है। मुझे भी इजाजत दी जाये।

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, मैंने बाकायदा नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कोई मोशन नहीं आ सकेगा। जिन सदस्यों ने कहा है कि उन को दो दो, तीन तीन मिनट का मौका दिया जाये मैं उन को इजाजत दे दूंगा।

SHRI P. M MEHTA (Bhavnagar): With your permission, I would make a submission on the Narmada floods....

अध्यक्ष महोदय : इस के लिए टाइम फिक्स कर दिया जायेगा। तब आप अपनी बात कह लें।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरे विशेषाधिकार के प्रश्न का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय: उस के बारे में मिनिस्टर साहब ने कहा है....

श्री मधु लिमये : आप मंत्री महोदय का जवाब पढ़िये। वह गलतबयानी कर रहे हैं।

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 3rd September, 1973.

†Introduced with the recommendation of the President.

MR. SPEAKER: I will ask Minister when he comes back to read the statement himself.

श्री मधु लिमये : पहले मुझे प्रर्ज करने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : जब वह आयेंगे।

Immediately after the passage of the Code of Criminal Procedure Bill, I will allow one hour for brief speeches for two or three minutes by members who are affected by the recent floods in Gujarat and Rajasthan to impress upon the Government the need for appropriate action.

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरैना) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के सदस्यों को भी मौका दिया जाये।

श्रीमती सहोदराबाई राय (सागर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में भी बाढ आई है।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल पास होने के बाद आप भी कह लीजिएगा।

11.48 hrs.

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BILL.—*contd.*

CLAUSES—*contd.*

MR. SPEAKER: Further clause by clause consideration of the Bill to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure, as passed by Rajya Sabha.

This Bill must be disposed of within two hours. That is the commitment in this House. The House was devoting the whole of its time Saturday to this.

New Clause 435A

SHRI MADHU LIMAYE (Banka): I beg to move.

Page 148, *after* line 4,—*insert*—

"435A. (1) When any person under the age of fifteen years is sentenced by any Criminal Court to imprisonment for any offence, the Court may direct that such person, instead of being imprisoned in a criminal jail, shall be confined in any reformatory established by the State Government as a fit place for confinment, in which there are means of suitable discipline and of training in some branch of useful industry or which is kept by a person willing to obey such rules as the State Government prescribes with regard to the discipline and training of persons confined therein.

(2) All persons confined under this section shall be subject to the rules so prescribed.

(3) This section shall not apply to any place in which the Reformatory Schools Act 1897. is for the time being in force". (261)

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन कोई नया संशोधन नहीं है। जो वर्तमान क्रिमनिल प्रोसीजर कोड है, उस की धारा को मंत्री महोदय ने नये बिल से काटने का निर्णय किया है। इस का कारण क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आया। वर्तमान कोड की धारा में वह प्रावधान है कि यदि पन्द्रह साल, या उस से कम उम्र के लडकों की सजा हो जाती है, तो उन को जेल में रखने के बजाये रेफमेटरी में भेज दिया जाये। अब इस धारा को काट देने के बाद मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन को आप जेलों में भेज देंगे? जेलों में जो कम उम्र के लड़के होते हैं उन के साथ बड़ी ज्यादती होती है। मंत्री महोदय जानते हैं, और स्वराज्य के पहले के जमाने में जो हम जेलों में यह